NATIONAL HOUSING BANK

Head Office, New Delhi – 110003.

एमएमजीए स्केल – II (प्रबंधक) और एमएमजीए स्केल – II (उप प्रबंधक) के पद हेतु अधिकारियों की भर्ती

ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क का भुगतान - 12.10.2024 से 01.11.2024 तक

(यह विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन वेबलिंक www.nhb.org.in पर उपलब्ध है)

विज्ञापन सं. – रा.आ.बैंक/ मा.सं. एवं प्रशासन/भर्ती/2024-25/02

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) प्रबंधक (एमएमजीए स्केल – III) और उप प्रबंधक (एमएमजीए स्केल – II) के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है।

I. महत्वपूर्ण निर्देश

1. अभ्यर्थी को पद हेतु अपनी पात्रता सुनिश्चित करनी होगी

- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंड, ऑनलाइन पंजीकरण विधि, आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क का भुगतान, ई-कॉल लेटर जारी करना, लिखित परीक्षा (यदि उप प्रबंधक स्तर के अधिकारियों के लिए आवश्यक हो) और साक्षात्कार प्रक्रियाओं सम्बन्धी आदि निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने हेतु निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना सुनिश्चित करें।
- आवेदन की पंजीकरण प्रक्रिया केवल तभी पूरी होती है जब निर्धारित आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार (जहाँ भी लागू हो) भुगतान की अंतिम तिथि तक या उससे पहले ऑनलाइन मोड के माध्यम से बैंक में जमा किया गया हो।
- अभ्यर्थियों को निर्धारित आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार (जहाँ भी लागू हो) भुगतान के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर साक्षात्कार के लिए अनंतिम रूप से चयनित किया जाता है। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी को ई-कॉल लेटर/साक्षात्कार कॉल लेटर जारी करने का यह अर्थ नहीं होगा कि बैंक द्वारा उसकी अभ्यर्थिता को अंततः मंजूरी दे दी गई है। बैंक साक्षात्कार के समय या उससे पहले (यदि बुलाया जाता है) मूल दस्तावेजों के संदर्भ में पात्रता मानदंड का सत्यापन करेगा। यदि उस स्तर पर, यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी पद (आयु, शैक्षणिक योग्यता, योग्यता पश्चात अनुभव आदि) के लिए पात्रता मानदंड को पूरा नहीं कर रहा है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और उसे साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी किसी भी वाहन व्यय की प्रतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे।

2. आवेदन का तरीका

अभ्यर्थी दिनांक **12.10.2024 से 01.11.2024** तक रा.आ.बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in के माध्यम से **ऑनलाइन** आवेदन कर सकते हैं। **आवेदन जमा करने का कोई अन्य माध्यम स्वीकार्य नहीं हैं।**

महत्वपूर्ण तिथि/माह

विषय	अनंतिम तिथियां/माह^
पात्रता मानदंड हेतु कट-ऑफ़ तिथि	01.10.2024
आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्क/सूचना प्रभार के भुगतान के लिए वेबसाइट लिंक खुलने की तिथि	12.10.2024
आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्क/सूचना प्रभार के भुगतान की अंतिम तिथि	01.11.2024
ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने की तिथि	सूचना रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी
साक्षात्कार का आयोजन	
अंतिम परिणाम की घोषणा	

^ बैंक के पास उपरोक्त अनुसूची में परिवर्तन करने का अधिकार है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सभी पदों के संबंध में अद्यतन जानकारी हेतु रा.आ.बैंक की अधकृत वेबसाइट के अतिरिक्त नियमित आधार पर अपने पंजीकृत ई-मेल देखते रहें।

3. रिक्तियों की संख्या

क.	नई भर्ती					
नियमित पद (पदों की संख्या)						
	अ.जा.	**अ.ज.जा.**	**अ.पि.व.-नॉ.क्रि.ले.^**	**ईडब्ल्यूएस**	**सामान्य**	**कुल**
प्रबंधक (स्केल - III)						
1. ऋण/लेखा परीक्षा/निरीक्षण/अनुपालन (9) **2. डेटा वैज्ञानिक (1)**	**02**	**-**	**03**	**01**	**04**	**10**
उप प्रबंधक (स्केल – II)						
1. ऋण/लेखा परीक्षा/निरीक्षण/अनुपालन (7) **2. डेटा वैज्ञानिक (2)**	**01**	**01**	**02**	**01**	**04**	**09**
कुल योग	**03**	**01**	**05**	**02**	**08**	**19**

**** बैकलॉग रिक्तियां***

अ.जा.: अनुसूचित जाति; अ.ज.जा..: अनुसूचित जनजाति; अ.पि.व.- नॉ.क्रि.ले: अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर; ईडब्ल्यूएस : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यूआर: सामान्य।

^'नॉन क्रीमी लेयर' में आने वाले अ.पि.व. के अभ्यर्थी अ.पि.व. श्रेणी के तहत आरक्षण के हकदार हैं। 'क्रीमी लेयर' वाले अ.पि.व. अभ्यर्थी अपनी श्रेणी को 'सामान्य' श्रेणी के रूप में दर्शाएं।

नोट: -

- दिव्यांग अभ्यर्थी किसी भी श्रेणी अर्थात् सामान्य/अ.जा.: /अ.ज.जा/अ.पि.व/ईडब्ल्यूएस से संबंधित हो सकते हैं। दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए आरक्षण क्षैतिज एवं पद के लिए समग्र रिक्तियों के भीतर है।

- आरक्षित श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थी, जिनके लिए कोई आरक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है, अनारक्षित श्रेणी के लिए घोषित रिक्तियों के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते उन्हें अनारक्षित श्रेणी के लिए लागू सभी पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा।
- ऊपर उल्लिखित रिक्तियों की कुल संख्या अनंतिम है और यह बैंक की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर बढ़/घट सकती है। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार करने और वास्तविक आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऐसे प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों पर विचार करने का अधिकार सुरक्षित है।

4. पात्रता

कृपया ध्यान दें कि विज्ञापन में निर्दिष्ट पात्रता मानदंड पद हेतु आवेदन करने के लिए मूल मानदंड हैं। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार और बैंक द्वारा आवश्यक भर्ती प्रक्रिया के किसी भी आगामी प्रक्रिया स्तर के समय ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में इंगित मूल में प्रासंगिक दस्तावेजों और श्रेणी, राष्ट्रीयता, आयु, शैक्षणिक, व्यावसायिक योग्यता, योग्यता के बाद अनुभव आदि से संबंधित उनकी पहचान और पात्रता के समर्थन में एक फोटोकॉपी प्रदान करनी होगी। कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण के बाद किसी भी स्तर पर श्रेणी में बदलाव की अनुमति नहीं होगी और इस संबंध में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अधीन, ऑनलाइन आवेदन में जिस श्रेणी को इंगित किया गया है, उस पर विचार करते हुए परिणाम प्रोसेस किया जाएगा। पद के लिए आवेदन करना, केवल साक्षात्कार और आगामी प्रक्रियाओं के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि अभ्यर्थी को अनिवार्यतः बैंक में रोजगार दिया ही जायेगा। अभ्यर्थी ने जिस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया है, उसके अलावा किसी अन्य श्रेणी में अभ्यर्थिता के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

5.1 राष्ट्रीयता/नागरिकता

अभ्यर्थी को निम्न होना चाहिये –

(i) भारत का नागरिक हो, या

(ii) नेपाल की प्रजा हो या भूटान की प्रजा या जो भारत में स्थायी रुप से बसने की इच्छा से आये हों (1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आ गये हों),

(iii) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीक़ी देशों केन्या, यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व तंजान्यिका और जंजीबार), जांबिया, मालावी, जायरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रव्रजन किया हो।

बशर्ते कि उपरोक्त श्रेणियों (ii) और (iii) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

5.2 आयु सीमा (यथा 01.10.2024 तक)

पद	आयु (न्यूनतम)	आयु (अधिकतम)*
प्रबंधक (स्केल-III)	23 वर्ष	35 वर्ष
उप प्रबंधक (स्केल-III)	23 वर्ष	32 वर्ष

नोट:- विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु सीमा सामान्य एवं ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों हेतु लागू है।

ऊपरी आयु सीमा में छूट:

क्र.सं.	अभ्यर्थी की श्रेणी	आयु में छूट
5.2 (क)	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
5.2 (ख)	अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर-नॉन)	3 वर्ष
5.2 (ग)	"दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" के अंतर्गत यथा परिभाषित दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी)।	दिव्यांगजन (सामान्य) - 10 वर्ष दिव्यांगजन (अजा/अजजा) – 15 वर्ष दिव्यांगजन (अपिव) - 13 वर्ष
5.2 (घ)	भूतपूर्व सैनिक (ईसीओ/एसएससीओ सहित) बशर्ते आवेदकों ने कम से कम 5 वर्ष सैन्य सेवा प्रदान की हो और कार्यभार (इनमें वे भी शामिल है जिनका कार्यभार 6 महीने के अंदर पूरा होने वाला हो) पूरा करने पर सेवामुक्त किए गए हों। इसके अलावा दुराचरण या अकुशलता के कारण बर्खास्त नहीं किए गए हों या शारीरिक दिव्यांगता के कारण सेवामुक्त किया गया हो या सैन्य सेवा से शारीरिक दिव्यांगता या अशक्ता के कारण सेवामुक्त किया गया हो। ऐसे ईसीओ/एसएससीओ जिन्होंने सैन्य सेवा की अपने पाँच वर्ष का कार्यभार की अवधि पूरी कर ली हो लेकिन उसका कार्य पाँच साल के बाद बढ़ा दिया गया हो और ऐसे मामले जिसमें रक्षा मंत्रालय ने प्रमाणपत्र जारी किया हो कि चयन होने पर वे नियुक्ति के प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से तीन माह के अंदर सेवामुक्त कर दिए जाएंगे।	5 वर्ष

नोट:

i. ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए उन्हें दिए गए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले लाभों को प्राप्त करने के बाद सिविल पद पर सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली है, सरकारी नौकरी में पुनर्नियुक्ति के उद्देश्य हेतु उनके भूतपूर्व सैनिक की स्थिति समाप्त हो जाती है।

ii. बिंदु 5.29 (ग) में आयु सीमा में दी गयी छूट सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार संचयी आधार पर अनुमत्य होगी।

iii. अ.जा./ अ.ज.जा./अ.पि.व. श्रेणी के अभ्यार्थियों की ऊपरी आयु सीमा केवल उनके लिये आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों हेतु लागू होंगी जहां कही भी रिक्तियां आरक्षित नहीं है, अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के समान ही माना जाएगा अर्थात सामान्य श्रेणी हेतु कोई छूट नहीं उपलब्ध है।

iv. आयु के संदर्भ में सभी छूटों को लागू करने के पश्चात, नियमित पदों के लिए अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

v. ऐसे अभ्यर्थी जो आयु में छूट चाह रहे हैं उन्हें बैंक की अपेक्षा अनुसार साक्षात्कार के समय और भर्ती प्रक्रिया के किसी भी बाद के चरण में मूल में अपेक्षित प्रमाणपत्र के साथ उसकी फोटोकॉपी प्रस्तुत करनी होगी।

vi. अधिकारी संवर्ग में भूतपूर्व सैनिकों हेतु कोई आरक्षण नहीं है।

i. विज्ञापित पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता और अर्हता पश्चात अनुभव (यथा 01.10.2024 तक)

पद	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/ व्यावसायिक योग्यता	न्यूनतम अर्हता पश्चात अनुभव (यथा 01.10.2024 तक)
प्रबंधक **(ऋण/लेखापरीक्षा/निरीक्षण /अनुपालन)**	किसी भी विषय में स्नातक के साथ आईसीडब्ल्यूएआई/आईसीएआई/सीएफए/एम बीए	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/ आवास वित्त कंपनियों /नियामक निकायों/विनियमित ऋण संस्थाओं में अधिकारी के रूप में न्यूनतम 4 वर्ष का अनुभव, जिसमें से अनुपालन/लेखा परीक्षा/निरीक्षण/ऋण-खुदरा ऋण में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव
प्रबंधक (**डेटा वैज्ञानिक**)	सांख्यिकी/डाटा विज्ञान/कम्प्यूटिंग और सांख्यिकी/सर्वेक्षण और डाटा विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री/सांख्यिकी या ऑपरेशन अनुसंधान में डिग्री/कृत्रिम बुद्धिमत्ता या मशीन लर्निंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	कॉर्पोरेट्स/बैंकों/वित्तीय संस्थानों/आवास वित्त कंपनियों/पीएसयू/नियामक निकायों/एआईएफआई में डेटा विश्लेषक/डेटा वैज्ञानिक/सांख्यिकीविद् के रूप में न्यूनतम 4 वर्ष का अर्हता-पश्चात कार्य अनुभव
उप प्रबंधक **(ऋण/लेखापरीक्षा/निरीक्षण /अनुपालन)**	किसी भी विषय में स्नातक के साथ आईसीडब्ल्यूएआई/आईसीएआई/सीएफए/एम बीए	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/आवास वित्त कंपनियों/नियामक निकायों/विनियमित ऋण संस्थाओं में अधिकारी के रूप में अनुपालन/लेखा परीक्षा/निरीक्षण/ऋण-खुदरा ऋण देने के क्षेत्र में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव
उप प्रबंधक (**डेटा वैज्ञानिक**)	सांख्यिकी/डाटा विज्ञान/कम्प्यूटिंग और सांख्यिकी/सर्वेक्षण और डाटा विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री/सांख्यिकी या ऑपरेशन अनुसंधान में डिग्री/कृत्रिम बुद्धिमत्ता या मशीन लर्निंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	कॉर्पोरेट्स/बैंकों/वित्तीय संस्थानों/ आवास वित्त कंपनियों/पीएसयू/विनियामक निकायों/एआईएफआई में डेटा विश्लेषक/डेटा वैज्ञानिक/सांख्यिकीविद् के रूप में न्यूनतम 2 वर्ष का अर्हता-पश्चात कार्य अनुभव

*डिग्री का अर्थ है स्नातकोत्तर डिग्री

iii. भूमिका और कार्य प्रोफाइल

पद का नाम	प्रबंधक (ऋण/लेखापरीक्षा/निरीक्षण/अनुपालन)
कार्य प्रोफाइल:	
• विनियामक और पर्यवेक्षी अनुपालन तक पहुँचने के लिए रा.आ.बैंक और भा.रि.बैंक के अधिकार क्षेत्र के तहत विभिन्न संस्थाओं का विस्तृत निरीक्षण करना। • निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करना और समय पर प्रस्तुत करना। • पर्यवेक्षी डेटा का विश्लेषण • लागू विधिकों, नियामक आवश्यकताओं, नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार अनुपालन की पहचान, आकलन, निगरानी, प्रबंधन और रिपोर्टिंग करना। • नियामक/वैधानिक दिशानिर्देशों का अनुपालन • बैंक के विभागों/कार्यालयों की लेखापरीक्षा करना तथा लेखापरीक्षित गतिविधियों और लेखापरीक्षा के निष्कर्षों की रिपोर्ट तैयार करना। • प्रबंधन या बोर्ड के लिए ज्ञापन/रिपोर्ट तैयार करना। • नीतियों की आंतरिक समीक्षा • ऋण प्रस्तावों का ऋण मूल्यांकन • ऋण निगरानी, अनुपालन और सत्यापन • ऋण निरीक्षण/निगरानी के लिए एसओपी/मैनुअल का निर्माण • संस्वीकृति, दस्तावेज़ीकरण, संवितरण, निरीक्षण आदि के संबंध में आंतरिक अनुपालन सुनिश्चित करना। • बैंक द्वारा सौंपा गया कोई अन्य संबंधित कार्य	
कौशल एवं दक्षता:	
निरीक्षण, लेखा परीक्षा, अनुपालन, ऋण और नीतियों, एसओपी, मैनुअल से परिचित होना।	
पद का नाम	**प्रबंधक (डेटा वैज्ञानिक)**
कार्य प्रोफाइल:	
• स्पष्ट एवं प्रभावी विश्लेषण तैयार करने के लिए उपलब्ध उपकरणों का उपयोग करना। • डेटा का विश्लेषण करना और जानकारी निकालना • डेटा तैयार करना और उसका सत्यापन करना और फिर मॉडल बनाना और उसका सत्यापन करना। • डेटा आधारित विश्लेषण करना और रिपोर्ट बनाना। • डेटा रिपोर्ट का विश्लेषण और व्याख्या करना, निष्कर्ष निकालना और सिफारिशें करना।	

• मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा विश्लेषण विधि लागू करना, सांख्यिकीय और गैर-सांख्यिकीय डेटा अन्वेषण तैयार करना, डेटा को सत्यापित करना, डेटा गुणवत्ता के मुद्दों की पहचान करना और उन्हें संबोधित करने के लिए प्रौद्योगिकी के साथ काम करना। • पूर्वानुमानात्मक जानकारी प्रदान करने हेतु चरों के बीच प्रवृत्तियों और संबंधों को बेहतर ढंग से समझने के लिए बड़े डेटा सेटों का सांख्यिकीय विश्लेषण करना। • बैंक द्वारा सौंपा गया कोई अन्य संबंधित कार्य।	
कौशल एवं दक्षता:	
एसक्यूएल, आर या पायथन, एक्सेल, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्ञान।	
पद का नाम	**उप प्रबंधक (ऋण/लेखापरीक्षा/निरीक्षण/अनुपालन)**
कार्य प्रोफाइल:	
• विनियामक और पर्यवेक्षी अनुपालन तक पहुँचने के लिए रा.आ.बैंक और भा.रि.बैंक के अधिकार क्षेत्र के तहत विभिन्न संस्थाओं का विस्तृत निरीक्षण करना। • निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करना और समय पर प्रस्तुत करना। • पर्यवेक्षी डेटा का विश्लेषण • लागू विधिकों, नियामक आवश्यकताओं, नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार अनुपालन की पहचान, आकलन, निगरानी, प्रबंधन और रिपोर्टिंग करना। • नियामक/वैधानिक दिशानिर्देशों का अनुपालन • बैंक के विभागों/कार्यालयों की लेखापरीक्षा करना तथा लेखापरीक्षित गतिविधियों और लेखापरीक्षा के निष्कर्षों की रिपोर्ट तैयार करना। • प्रबंधन या बोर्ड के लिए ज्ञापन/रिपोर्ट तैयार करना। • नीतियों की आंतरिक समीक्षा • ऋण प्रस्तावों का ऋण मूल्यांकन • ऋण निगरानी, अनुपालन और सत्यापन • ऋण निरीक्षण/निगरानी के लिए एसओपी/मैनुअल का निर्माण • संस्वीकृति, दस्तावेज़ीकरण, संवितरण, निरीक्षण आदि के संबंध में आंतरिक अनुपालन सुनिश्चित करना। • बैंक द्वारा सौंपा गया कोई अन्य संबंधित कार्य	
कौशल एवं दक्षता:	
निरीक्षण, लेखा परीक्षा, अनुपालन, ऋण और नीतियों, एसओपी, मैनुअल से परिचित होना।	
पद का नाम	**उप प्रबंधक (डेटा वैज्ञानिक)**
कार्य प्रोफाइल:	

- स्पष्ट एवं प्रभावी विश्लेषण तैयार करने के लिए उपलब्ध उपकरणों का उपयोग करना।
- डेटा का विश्लेषण करना और जानकारी निकालना
- डेटा तैयार करना और उसका सत्यापन करना और फिर मॉडल बनाना और उसका सत्यापन करना।
- डेटा आधारित विश्लेषण करना और रिपोर्ट बनाना।
- डेटा रिपोर्ट का विश्लेषण और व्याख्या करना, निष्कर्ष निकालना और सिफारिशें करना।
- मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा विश्लेषण विधि लागू करना, सांख्यिकीय और गैर-सांख्यिकीय डेटा अन्वेषण तैयार करना, डेटा को सत्यापित करना, डेटा गुणवत्ता के मुद्दों की पहचान करना और उन्हें संबोधित करने के लिए प्रौद्योगिकी के साथ काम करना।
- पूर्वानुमानात्मक जानकारी प्रदान करने हेतु चरों के बीच प्रवृत्तियों और संबंधों को बेहतर ढंग से समझने के लिए बड़े डेटा सेटों का सांख्यिकीय विश्लेषण करना।
- बैंक द्वारा सौंपा गया कोई अन्य संबंधित कार्य।

कौशल एवं दक्षता:
एसक्यूएल, आर या पायथन, एक्सेल, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्ञान।

नोट:

प्रबंधक (एमएमजी स्केल-III) और उप प्रबंधक (एमएमजी स्केल-II) के लिए

i. अभ्यर्थी को कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु निपुण; आपसी संवाद में अभ्यर्थी संवाद कुशल; विश्लेषणात्मक एवं ड्रॉफटिंग में कुशलता; सूक्ष्म जानकारियों पर ध्यान देने की योग्यता; एक समय पर अनेक कार्य करने के साथ टीम निर्माण की कुशलता; अन्य संस्थान में किए गये कार्य का आकर्षक एवं उत्तम ट्रेक रिकॉर्ड होना चाहिए।

ii. उल्लिखित सभी शैक्षणिक योग्यता पूर्ण कालिक एवं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/सरकारी विनियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड से होनी चाहिए।

iii. ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी को स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत के निकटतम दो दशमलव को दर्शाने होंगे। यदि विश्वविद्यालय/संस्थानों ने समग्र ग्रेड प्वाइंट (अर्थात सीजीपीए/ओजीपीए आदि) दिए हों तो उन्हें प्रतिशत में रूपांतरित करके ऑनलाइन आवेदन में दर्शाना होगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर अभ्यर्थी को उचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ समग्र ग्रेड प्वाइंट को प्रतिशत में रूपांतरित करने संबंधी विश्वविद्यालय के नियम एवं उन नियमों के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए अंकों के प्रतिशत लिखे होने चाहिए।

iv. प्रतिशत की गणना: सभी सेमेस्टर/वर्षों में सभी विषयों में प्राप्त किए हुए अंको को ऑनर्स/वैकल्पिक/अतिरिक्त वैकल्पिक विषय यदि कोई हो, के बावजूद अधिकतम अंकों से विभाजित करके प्रतिशत अंक निकाले जाएंगे। यह नियम उन विश्वविद्यालयों के लिए भी लागू होगा, जहां वर्ग/श्रेणी केवल ऑनर्स के अंको पर आधारित हो।

v. अभ्यर्थी के पास वैध अंक सूची/डिग्री प्रमाणपत्र/व्यावसायिक योग्यता प्रमाणपत्र होना चाहिए, जिसमें वर्णित हो कि वह यथा 01.10.2024 तक स्नातक/स्नातकोत्तर/सनदी लेखाकार/आईसीडब्ल्यूएआई आदि है और ऑनलाइन पंजीकरण करते समय स्नातक/स्नातकोत्तर/व्यावसायिक योग्यता में प्राप्त अंकों का प्रतिशत इंगित करें।

vi. योग्यता के बाद अनुभव पर विचार केवल न्यूनतम अनुभव के आकलन हेतु किया जाएगा।

vii. यदि डिग्री/डिप्लोमा का प्रमाण पत्र विशेषज्ञता के क्षेत्र को विनिर्दिष्ट नहीं करता है, तो अभ्यर्थियों को विशेषज्ञता का उल्लेख करते हुए संबंधित विश्वविद्यालय/कॉलेज से प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा।

viii. ऐसे मामलों में जहां एक विशिष्ट क्षेत्र में अनुभव की आवश्यकता होती है, प्रासंगिक अनुभव प्रमाण पत्र में विशेषत: यह होना चाहिए कि अभ्यर्थी को उस विशिष्ट क्षेत्र में अनुभव था।

ix. बैंक शैक्षणिक योग्यता, व्यवसायिक योग्यता और/या योग्यता के बाद अनुभव से संबंधित पात्रता मानदंडों को परिवर्तित या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आवश्यकता के आधार पर, बैंक आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी नोटिस के और बिना कोई कारण बताए भर्ती प्रक्रिया के किसी भी या सभी प्रावधानों को रद्द करने या रोकने या कम करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

x. उपरोक्त पदों के लिए आउटसोर्सिंग विक्रेता, सेवा प्रदाता, नोलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग (केपीओ)/बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) या आईटी समर्थन सेवा प्रदाता के माध्यम से अनुभव पर विचार नहीं किया जाएगा।

xi. उप प्रबंधक के पद के लिए, यदि बैंक को अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो बैंक योग्यता परीक्षा के रूप में उम्मीदवारों की ऑनलाइन-परीक्षा आयोजित करेगा और कट-ऑफ क्लियर करने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षा पैटर्न और परीक्षण पद्धति को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

xii. अभ्यर्थियों को अपनी पात्रता मानदंड के समर्थन में दस्तावेज अपलोड करने होंगे या पूछे जाने पर दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां भेजनी होंगी।

5.4 निर्धारित दिव्यांगजन हेतु आरक्षण

"दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" की धारा 34 के अंतर्गत केवल निर्धारित दिव्यांगजन ही आरक्षण हेतु पात्र हैं। "निर्धारित दिव्यांगता वाले व्यक्ति से आशय उस व्यक्ति से है जो विनिर्दिष्ट दिव्यांगता का कम से कम चालीस प्रतिशत दिव्यांग हो, उन मामलों में जहां विनिर्दिष्ट दिव्यांगता को मापन श्रेणी में नहीं रखा गया है, प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी के प्रमाणन के अनुसार इसके अंतर्गत वह दिव्यांग व्यक्ति भी आता है जिसकी दिव्यांगता को मापन की श्रेणी में रखा गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल दिव्यांगताओं की आरक्षित श्रेणियां नामत: हैं:

क. दृष्टिहीनता एवं अल्प दृष्टि;

ख. बधिर एवं कम सुनने वाला;

ग. प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित, ठीक किया हुआ कुष्ठ, बौनापन, एसिड हमले से पीड़ित तथा मांसपेशीय दुर्विकास सहित चालन संबंधी दिव्यांगता;

घ. ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता और मानसिक रूग्णता;

ङ. बधिर-दृष्टिहीनता सहित (क) से (घ) खंडों के अंतर्गत व्यक्तियों के साथ-साथ बहु-दिव्यांगताएं।

<u>टिप्पणी</u>:

i. उपरोक्त निर्दिष्ट दिव्यांगताओं की परिभाषा "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016" के अनुसार होंगे।

ii. निर्धारित दिव्यांग अभ्यर्थी किसी भी श्रेणी अर्थात सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस से हो सकते हैं। निर्धारित दिव्यांग व्यक्तियों हेतु आरक्षण समस्तरीय हैं और इस पद हेतु कुल रिक्तियों के भीतर हैं।

iii. निर्धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों के पास "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" के माध्यम से निर्धारित सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी नवीनतम दिव्यांगता प्रमाणपत्र होना चाहिए। ऐसे प्रमाणपत्र की बैंक/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्णय अनुसार जांच/पुन: जांच की जा सकती है।

स्क्राइब का उपयोग एवं प्रतिपूरक समय:

दृष्टिबाधित अभ्यर्थी और ऐसे अभ्यर्थी जिनकी लिखने की गति किसी भी कारण से प्रतिकूल तरीके से हमेशा के लिए प्रभावित हुई है वे ऑनलाइन परीक्षा के समय अपने खर्च पर अपने खुद के स्क्राइब का उपयोग कर सकते हैं। उन सभी मामलों में जहां स्क्राइब का इस्तेमाल किया जाता है, निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

i. अभ्यर्थी को अपने निजी खर्च पर अपने स्क्राइब का प्रबंध करना होगा।

ii. अभ्यर्थी और स्क्राइब दोनों को परीक्षा के समय स्क्राइब के पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ के साथ निर्धारित प्रारूप में उपयुक्त वचनपत्र देना होगा। इसके अतिरिक्त यदि बाद में यह पाया जाता है कि यदि उन्होंने किसी भी निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा नहीं किया है या भौतिक तथ्यों को दबाया है तो आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी, चाहे परीक्षा का परिणाम कुछ भी क्यों न हों।

iii. ऐसे अभ्यर्थी जो स्क्राइब का उपयोग करते हैं वे परीक्षा के प्रत्येक घंटे में 20 मिनट या अन्य यथासूचित प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे।

iv. अभ्यर्थी द्वारा व्यवस्था किए गए स्क्राइब ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी नहीं होने चाहिए। यदि प्रक्रिया के किसी भी चरण में उपरोक्त का उल्लंघन पाया जाता है तो अभ्यर्थी और स्क्राइब दोनों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। जो अभ्यर्थी पात्र हैं और परीक्षा में स्क्राइब की सेवा का उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन

आवेदन प्रपत्र में सावधानीपूर्वक इस बात का उल्लेख करना होगा। बाद में किए गए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

v. केवल प्रतिपूरक समय हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों को ही ऐसे छूट की अनुमति होगी क्योंकि अभ्यर्थी को दिया गया प्रतिपूरक समय सिस्टम आधारित होगा, यदि उन्होंने इसके लिए पंजीकरण नहीं करवाया है तो परीक्षा का आयोजन करने वाली एजेंसी के लिए इस समय की अनुमति देना संभव नहीं होगा। जिन अभ्यर्थियों ने प्रतिपूरक समय हेतु पंजीकरण नहीं करवाया है उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी।

vi. प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित सहित चालन संबंधी दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों हेतु दिशा-निर्देश-
चालन संबंधी दिव्यांगता एवं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों को प्रति घंटा 20 मिनट या अन्यथा सूचित प्रतिपूरक समय की अनुमति दी जाएगी जहां लिखने कार्य निष्पादन के धीमा होने की सीमा (न्यूनतम 40% की हानि) तक प्रभावित होती है।

vii. दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों हेतु दिशा-निर्देश-

क) दृष्टिबाधित अभ्यर्थी (जो 40 % से अधिक दिव्यांगता से पीड़ित हैं) परीक्षा की सामग्री को बड़े फॉन्ट में देखने के विकल्प को चुन सकते हैं और ऐसे सभी अभ्यर्थी प्रत्येक घंटे हेतु 20 मिनट या परीक्षा में अन्यथा सूचित प्रतिपूरक समय हेतु पात्र होंगे।

ख) जो दृष्टि बाधित अभ्यर्थी परीक्षा हेतु स्क्राइब की सेवा का उपयोग करते हैं उन्हें बड़े फॉन्ट में परीक्षा की सामग्री को देखने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

viii. बौद्धिक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों हेतु दिशा-निर्देश -
40% से अधिक बौद्धिक अक्षमता (ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता और मानसिक रूग्णता) वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट की प्रतिपूरक समय दिया जाएगा चाहे वे स्क्राइब की सेवा का उपयोग करते हैं या नहीं करते हैं।

ix. कोई भी अभ्यर्थी जो स्क्राइब का उपयोग कर रहे हैं उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि वे उपरोक्त दिशा-निर्देश के अनुसार परीक्षा में स्क्राइब के उपयोग हेतु पात्र हैं। कोई भी अभ्यर्थी उपरोक्त दिशा-निर्देश के उल्लंघन में स्क्राइब का उपयोग करते हैं उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा और यदि उन्होंने बैंक की सेवा ग्रहण कर ली है तो बिना किसी नोटिस के सेवा से निकाला जा सकता है।

ये दिशा-निर्देश समय-समय पर भारत सरकार के दिशानिर्देश/ स्पष्टीकरण के संदर्भ में परिवर्तन के अधीन हैं।

5.5 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षण (ईडब्ल्यूएस)

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 31.01.2019 को जारी कार्यालय ज्ञापन सं. 36039/1/2019-(आ.) के अनुसार ईडब्ल्यूएस का मतलब है कि 'ऐसे व्यक्ति जो अजा, अजजा और अपिव हेतु आरक्षण की योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय **8 लाख रूपये** (**आठ लाख रूपए मात्र**) से कम है उन्हें आरक्षण के लाभ हेतु ईडब्ल्यूएस के तौर पर चिन्हित किया जाएगा। आवेदन के वर्ष से पूर्व वित्त वर्ष हेतु आय में सभी स्रोत अर्थात वेतन, कृषि, कारोबार, पेशा आदि से आय भी शामिल की जायेगी।
ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार के पास निम्नलिखित आस्तियों में से कोई है उन्हें ईडब्ल्यूएस के रूप में चिन्हित नहीं किया जाएगा, चाहे उनकी पारिवारिक आय कुछ भी हो-:

i. 5 एकड़ और उससे अधिक कृषि भूमि;
ii. 1000 वर्ग फीट और उससे अधिक का रिहायशी फ्लैट;
iii. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का रिहायशी प्लॉट;
iv. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का रिहायशी प्लॉट।

ईडब्ल्यूएस स्थिति को निर्धारित करने हेतु भूमि या संपत्ति धारण जांच करते हुए विभिन्न स्थलों/ जगहों/शहरों में 'परिवार' द्वारा धारित संपत्ति को शामिल किया जाएगा।

इस उद्देश्य हेतु **'परिवार'** शब्द में वह व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ लेना चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहन के साथ ही उनके पति/उनकी पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे शामिल होंगे।

आय और संपत्ति प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी: -

उपरोक्त उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, "ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने पर प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित में से किसी एक

अधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाणपत्र ही केवल ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा:

i. जिला न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीश/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/अनुमंडल न्यायाधीश/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
ii. मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट।
iii. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के रैंक से नीचे का न हो।
iv. अनुमंडल अधिकारी या वह क्षेत्र जहां आमतौर पर अभ्यर्थी और/या उसका परिवार निवास करता है।

अस्वीकरण: ईडब्ल्यूएस रिक्तियां अनंतिम हैं और भारत सरकार के आगे के निदेश तथा किसी भी मुकदमे के परिणाम के अधीन हैं।
ये दिशा स्पष्टीकरण के/समय पर भारत सरकार के दिशानिर्देश-निर्देश समय-संदर्भ में परिवर्तन के अधीन हैं।

6. चयन प्रक्रिया

प्रबंधक (एमएमजी स्केल-III) और उप प्रबंधक (एमएमजी स्केल-II) के लिए चयन प्रक्रिया

चयन शॉर्टलिस्टिंग और साक्षात्कार के आधार पर होगा। आवेदन और पात्रता मानदंड पूरा करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में, स्क्रीनिंग समिति द्वारा आवेदनों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग करने हेतु शॉर्टलिस्टिंग योग्य अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। उप प्रबंधक पद के लिए, यदि बैंक को अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो बैंक अर्हक परीक्षा के रूप में अभ्यर्थियों की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करेगा और कट-ऑफ को पास करने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा परीक्षा पैटर्न और परीक्षण पद्धति को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

चयन शैक्षणिक, व्यावसायिक योग्यता, योग्यता के बाद के अनुभव और साक्षात्कार में किये गये प्रदर्शन के आधार पर होगा। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में न्यूनतम अंकों को प्राप्त करना होगा और अंतिम रैंक पर अंतिम रैंक सूची तैयार करने पर ही विचार किया जायेगा। हालांकि, पद के लिए चयन उस पद के लिए संबंधित श्रेणी रैंक सूची में उनके पद पर आधारित होगा।

चयन के लिए योग्यता सूची साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी कटस्कोर करते हैं (ऑफ पॉइंट पर सामान्य अंक-कट) ऑफ अंक-, तो ऐसे अभ्यर्थियों को मेरिट में, अवरोही क्रम में उनकी आयु के अनुसार रैंक दी जाएगी।

केवल न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। बैंक द्वारा गठित चयन समिति चयन हेतु मानदंड तय करेगी और तत्पश्चात बैंक द्वारा निर्णित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या का चयन किया जायेगा और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने का बैंक का निर्णय अंतिम होगा। इस संबंध में बैंक द्वारा किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जायेगा। केवल पात्रता मानदंडों को पूरा करने से अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु अधिकार प्राप्त नहीं हो होता है। बैंक अभ्यर्थी की योग्यता, उपयुक्तता, अनुभव आदि के संदर्भ में प्रारंभिक स्क्रीनिंग/चयन के बाद साक्षात्कार के लिए केवल अपेक्षित अभ्यर्थियों को बुलाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

विज्ञापित पदों के लिए साक्षात्कार हेतु उपस्थित होते समय, अभ्यर्थी को नीचे दिए गए वैध निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए। दस्तावेजों की अनुपस्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची (जैसा लागू हो):

अभ्यर्थी की पात्रता और पहचान के समर्थन में **मूल और स्व-सत्यापित फोटोकॉपी में** निम्नलिखित दस्तावेजों को साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से लाना अपेक्षित है, न लाने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों को न लाने पर भर्ती प्रक्रिया में आगे हिस्सा लेने से उसकी अभ्यर्थिता को रद्द कर दिया जाएगा।

(i) वैध साक्षात्कार ई-कॉल लेटर का प्रिंटआउट।

(ii) पंजीकृत ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र का वैध सिस्टम जनरेटेड प्रिंटआउट।

(iii) जन्म तिथि का प्रमाण (सक्षम नगरपालिका प्राधिकारण द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र या जन्म तिथि के साथ एसएसएलसी/कक्षा X प्रमाणपत्र)

(iv) विज्ञापन के बिंदु **10(झ)** में इंगित फोटो पहचान प्रमाण

(v) स्नातक या स्नातकोत्तर आदि की मार्क शीट या प्रमाण पत्र 01.09.2023 को या उससे पहले विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा घोषित परिणाम वाले उचित दस्तावेज जमा करना होगा।

(vi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र।

ओबीसी वर्ग में आने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, प्रमाणपत्र में विशेष रूप से एक खंड होना चाहिए कि अभ्यर्थी भारत सरकार के अधीन नागरिक पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण के अभिलाभों को छोड़कर क्रिमी लेयर वर्ग में नहीं आता है। क्रिमी लेयर वाले ओबीसी जाति प्रमाण पत्र को चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष) के दौरान जारी किया जाना चाहिए। प्रमाण पत्र में उल्लिखित जाति का नाम केंद्र सरकार की सूची/अधिसूचना के साथ पत्र द्वारा पत्र से मेल खाना चाहिए। साक्षात्कार के समय, ओबीसी अभ्यर्थी को उस वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जारी गैर- क्रिमी लेयर खंड वाला जाति प्रमाण पत्र लाना आवश्यक है।

ओबीसी वर्ग में आने वाले अभ्यर्थी परंतु जो क्रीमी लेयर में आते हैं और/या यदि उनकी जाति को केंद्रीय सूची में जगह नहीं मिलती है तो वे ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं। उन्हें ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में सामान्य वर्ग के रूप में अपनी श्रेणी को इंगित करना होगा।

(vii) बेंचमार्क दिव्यांगता श्रेणी वाले व्यक्तियों के मामले में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में दिव्यांगता प्रमाण पत्र। यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन परीक्षा के समय स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग किया है, तो उसे निर्धारित प्रारूप में स्क्राइब का विवरण विधिवत भरना होगा।

(viii) ईडब्ल्यूएस श्रेणी के मामले में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र। आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किया जाने वाला होना चाहिए। साक्षात्कार के समय, ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी को वित्तीय वर्ष उस 2023-24 के दौरान आय तथा संपत्ति प्रमाण पत्र लाना होगा।

(ix) भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय पेंशन भुगतान आदेश और अंतिम / वर्तमान में दी गयी (मूल के साथ कार्यकारी) रैंक के दस्तावेजी प्रमाण के साथ सेवा या सेवामुक्त बुक की प्रति प्रदान करनी होगी।

(x) अभ्यर्थी जो सरकारी/अर्ध सरकारी कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों सहित) में कार्य कर रहा है, को साक्षात्कार के समय उनके संबंधित नियोक्ता द्वारा जारी "अनापत्ति प्रमाणपत्र" लाना अपेक्षित है, जिसके अभाव में उनकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा और यात्रा व्यय, यदि कोई हो, अन्यथा का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(xi) अनुभव प्रमाण पत्र, यदि कोई हो।

(xii) योग्यता के बाद अनुभव का प्रमाणपत्र

(xiii) उपर्युक्त **बिंदु 5.1** की श्रेणियों (ii), (iii), (iv) और (v) में आने वाले व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(xiv) योग्यता के समर्थन में कोई अन्य संबंधित दस्तावेज।

टिप्पणी:-यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त उल्लिखित संबंधित पात्रता दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो उन्हें साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साक्षात्कार के समय प्रासंगिक पात्रता दस्तावेजों को न लाने पर, भर्ती की आगे की प्रक्रियाओं के लिए अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगजन/ईडब्ल्यूएस को प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगजन/ईडब्ल्यूएस श्रेणियों से आने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय इसके समर्थन में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

अभ्यर्थियों को साक्षात्कार आदि के समय भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगजन/ईडब्ल्यूएस/भूतपूर्व सैनिक के समर्थन में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के अलावा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगजन/ईडब्ल्यूएस/भूतपूर्व सैनिक श्रेणियों के प्रमाण पत्र रद्द कर दिए जाएंगे।

7. परिलब्धियां और सेवा शर्तें

पद	स्केल	वेतनमान
प्रबंधक	स्केल - III	63840 – 1990/5 – 73790 – 2220/2 – 78230
उप प्रबंधक	स्केल – II	48170 – 1740/1 – 49910 – 1990/10 – 69810

*उपरोक्त दिये वेतनमान के अनुसार परिलब्धियों के अतिरिक्त, पदों में बैंक के आवास (बैंक के विवेक पर समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित आवास की उपलब्धता के अधीन), लीज्ड आवास/एचआरए, चिकित्सा/हास्पिटलाइजेशन के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति, टेलीफोन/मोबाइल शुल्क, समाचार पत्र/पत्रिका/पुस्तक अनुदान, आवासीय साज-सज्जा आदि जैसी सुविधाएं पात्रता के

अनुसार शामिल हैं। अन्य लाभ जैसे आवास ऋण, वाहन ऋण, त्यौहार अग्रिम, एलटीसी, ग्रेच्युटी अवकाश नकदीकरण, पीएफआरडीए द्वारा संचालित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवरेज आदि नियमानुसार मिलते हैं।

पदों के लिए नियुक्त अभ्यर्थी के लिए परिवीक्षा अवधि निम्नानुसार प्रदान की गई है:

पद	**परिवीक्षा अवधि**
एमएमजीएस – II और एमएमजीएस - III	चयनित अभ्यर्थी बैंक में नियुक्ति की तिथि से 1 वर्ष की सक्रिय सेवा की अवधि हेतु परिवीक्षा पर रहेगा, जो बैंक के विवेक पर विस्तार योग्य है।

चयनित अभ्यर्थी समय-समय पर बैंक के विभिन्न कार्यालयों में बैंक के विवेकाधिकार पर तथा उपर्युक्त नियमों एवं शर्तों पर जो बैंक द्वारा तय किए जा सकते हैं, तैनात/स्थानांतरित किये जा सकते है।

8. आवेदन शुल्क और सूचना प्रभार (अप्रतिदेय)

क्र. सं.	**श्रेणी**	**राशि***
1.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूबीडी	175/- रूपये (केवल सूचना प्रभार)
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूबीडी के अतिरिक्त	850/- रूपये (सूचना प्रभार सहित आवेदन शुल्क)

**** वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को छोड़कर***

टिप्पणी : एक बार आवेदन किए जाने पर आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार अदा किया गया आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार **किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा** और न ही किसी परीक्षा अथवा चयन हेतु अलग रखा जाएगा। यदि आवेदन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निरस्त कर दिया जाता है/उस पर विचार नहीं किया जाता है तो आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार भी **वापस नहीं किया जाएगा।** बैंक/लेनदेन प्रभार, यदि लागू हो, अभ्यर्थी वहन **करेगा। आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार पर लागू जीएसटी अभ्यर्थी वहन करेगा।** निर्धारित आवेदन शुल्क/ सूचना प्रभार के बिना प्राप्त आवेदनों को सीधे ही अस्वीकार कर दिया जाएगा। शुल्क/सूचना प्रभारों का भुगतान इस विज्ञापन में दी गई निर्धारित विधि से ही किया जाए।

9. पहचान सत्यापन

i. प्रदान किये जाने वाले दस्तावेज

साक्षात्कार के समय, निरीक्षक को ई-कॉल लेटर के साथ अभ्यर्थी की फोटो की पहचान की फोटोकॉपी (ई-कॉल लेटर में नाम जैसा ही हो) जैसे पैन कार्ड/पासपोर्ट/स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस/मतदाता पहचान पत्र/ फोटोग्राफ के साथ बैंक पासबुक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान प्रमाण/ फोटोग्राफ के साथ जनप्रतिनिधि/ किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र/फोटोग्राफ के साथ आधार/ई-आधार कार्ड/कर्मचारी आईडी, सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अभ्यर्थी की पहचान को प्रस्तुत किये गये अपेक्षित दस्तावेजों एवं ई-कॉल लेटर पर उसके विवरण के संबंध में सत्यापित किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी की पहचान संदिग्ध पाई गई तो उसे परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- **राशन कार्ड और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस को वैध पहचान पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।**
- **जिन अभ्यर्थियों ने अपना नाम बदल दिया है, उन्हें केवल तभी अनुमति दी जाएगी जब वे अपना मूल विवाह प्रमाण पत्र/मूल में शपथ पत्र आदि जैसे आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करेंगे।**

टिप्पणी: अभ्यर्थियों को मूल में समान नाम वाला फोटो पहचान प्रमाण लाना होगा जैसा कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र/ई-कॉल लेटर में है और साक्षात्कार में भाग लेने के दौरान साक्षात्कार ई-कॉल लेटर के साथ फोटो पहचान प्रमाण की फोटोकॉपी जमा करनी होगी, जिसके बिना उन्हें साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10. आवेदन कैसे करें

निम्नलिखित हेतु विस्तृत दिशानिर्देश/ प्रक्रियाएं

क. आवेदन पंजीकरण

ख. शुल्क का भुगतान

ग. स्कैन और अपलोड दस्तावेज

अभ्यर्थी **सिर्फ 12.10.2024 से** ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अन्य **किसी प्रकार से किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

पंजीकरण पूर्व ध्यान दिये जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदु

ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व, अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे-

(i) निम्नलिखित स्कैन करें:
  - फोटोग्राफ (4.5 सेमी × 3.5 सेमी)
  - हस्ताक्षर (काली स्याही की कलम से)
  - बायें हाथ के अंगूठे का निशान (काली या नीली स्याही से सफेद कागज़ पर)
  - हस्त लिखित घोषणा (काली स्याही की कलम से सफेद कागज़ पर) (पाठ नीचे दिया गया है)

  यह सुनिश्चित करना कि सभी स्कैन किए गए दस्तावेज़ आवश्यक विनिर्देशों का पालन करते हैं जैसा कि इस विज्ञापन के बिंदु 11 (ग) में दिया गया है।

(ii) “बड़े अक्षरों” में हस्ताक्षर स्वीकार “नहीं” किए जाएंगे।

(iii) बाएं हाथ के अंगूठे के निशान को अच्छी तरह से स्कैन किया जाना चाहिए और उस पर धब्बा नहीं होना चाहिए। (यदि किसी अभ्यर्थी का बाएं हाथ का अंगूठा नहीं है, तो वह आवेदन करने के लिए अपने दायें हाथ के अंगूठे का उपयोग कर सकता/सकती है।)

(iv) हस्त लिखित घोषणा इस प्रकार है -

"मैं _______ (अभ्यर्थी का नाम), एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन प्रपत्र में मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई सभी जानकारी सही, सत्य और वैध है। मैं आवश्यकता पड़ने पर सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करूंगा/करुंगी।"

(v) उपर्युक्त उल्लिखित हस्त लिखित घोषणा अभ्यर्थी के हाथ से लिखा और केवल अंग्रेजी में होनी चाहिए। यदि यह किसी और के द्वारा या किसी अन्य भाषा में लिखा और अपलोड किया जाता है, तो आवेदन को अवैध माना जाएगा। (दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के मामले में जो लिख नहीं सकते हैं, उन्हें घोषणा का लिखा हुआ पाठ मिलेगा और वें टाइप की गयी घोषणा के नीचे अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगायेंगे और विनिर्देशों के अनुसार दस्तावेज़ अपलोड करेंगे)।

(vi) अपेक्षित आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार का **ऑनलाइन भुगतान** करने के लिए आवश्यक विवरण/दस्तावेज रखें।

(vii) वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी और मोबाइल नं. रखें, जिसे इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने तक चालू रखा जाना चाहिए। बैंक पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से साक्षात्कार आदि हेतु कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए सूचना भेज सकता है। यदि अभ्यर्थी के पास वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपनी नई ई-मेल आईडी बनानी होगी और मोबाइल नं. लेना होगा तथा उस ईमेल अकाउंट और मोबाइल नंबर को अपने पास रखना होगा।

11. आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार (अप्रतिदेय) के ऑनलाइन शुल्क का भुगतान: 12.10.2024 से 01.11.2024 आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार के ऑनलाइन भुगतान के लिए बैंक लेनदेन शुल्क अभ्यर्थी को वहन करना होगी।

क. आवेदन पंजीकरण

i. अभ्यर्थी **राष्ट्रीय आवास बैंक** की वेबसाइट www.nhb.org.in के "**opportunities@NHB**"➡"**वर्तमान रिक्तियां**"➡"**विभिन्न पदों पर अधिकारियों की भर्ती – 2024**"➡"**ऑनलाइन आवेदन के लिये यहाँ क्लिक करें**" जिससे एक नई स्क्रीन खुल जाएगी।

ii. आवेदन को पंजीकृत करने के लिए, **"नए पंजीकरण के लिए यहां क्लिक करें"** टैब को चुनें और नाम, संपर्क विवरण और ई-मेल आईडी को प्रविष्ट करें। सिस्टम द्वारा एक अनंतिम पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड दिया जाएगा एवं स्क्रीन पर दिखाई देगा। अभ्यर्थी अनंतिम पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड नोट करें। अनंतिम पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड स्पष्ट करता हुआ ई-मेल और एसएमएस भी भेज दिया जाएगा। आप अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके सेव किये गये डेटा को फिर से खोल सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो विवरण को एडिट कर सकते हैं।

iii. अभ्यर्थियों को निम्न अपलोड करना अपेक्षित हैं –

- फोटोग्राफ
- हस्ताक्षर
- बाएं हाथ के अंगूठे का निशान

- हस्तलिखित घोषणा

इस विज्ञापन के **बिंदु 11 (ग)** में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार।

iv. आवेदन प्रपत्र को एक बार में पूरा न कर पाने वाले अभ्यर्थी "सेव एंड नेक्स्ट" टैब को चुन कर पहले से प्रविष्ट डेटा को सेव कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में विवरणों की पुष्टि करने के लिए "सेव एंड नेक्स्ट" सुविधा का उपयोग करें और यदि आवश्यक हो तो उसमें संशोधन करें। दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र को ध्यान से भरना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिये सत्यापन/विवरण सत्यापित करना चाहिये कि उक्त अंतिम प्रस्तुत करने से पहले सही है।

v. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे स्वयं सावधानीपूर्वक ऑनलाइन आवेदन में विवरण भरें क्योंकि "फाइनल सबमिट" बटन पर क्लिक के पश्चात परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं होगी/अनुमति नहीं दी जाएगी।

vi. अभ्यर्थी के नाम अथवा उसके पिता/पति आदि के नाम की वर्तनी ठीक वही होनी चाहिए जो प्रमाण पत्र/ अंक तालिका/ पहचान प्रमाण में दी गई हो। कोई भी बदलाव/परिवर्तन उसकी अभ्यर्थिता को रद्द कर सकता है।

vii. अपने द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि करें और 'वेलिडेट योर डिटेल्स' एवं 'सेव एंड नेक्सट' बटन के क्लिक द्वारा अपने आवेदन को सेव करे।

viii. अभ्यर्थी अब **बिंदु 11 (ग)** के अंतर्गत स्कैनिंग एवं फोटोग्राफ और हस्ताक्षर विवरण के अपलोड के लिए दिशानिर्देश में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने का कार्य कर सकते हैं।

ix. अभ्यर्थियों को पंजीकरण के समय आईबीपीएस पोर्टल पर पात्रता मानदंड के समर्थन में अपने दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता है।

x. अभ्यर्थी आवेदन प्रपत्र में दिए गए अन्य विवरण को भरें।

xi. प्रीव्यू टैब को क्लिक करें और 'फाइनल सबमिट' के पूर्व, पूरे आवेदन की जांच करें।

xii. यदि आवश्यक हो तो, विवरण में संशोधन करें और 'फाइनल सबमिट' बटन पर केवल तभी क्लिक करें जब यह सत्यापित और सुनिश्चित हो जाए कि आपके द्वारा अपलोड किया गया फोटोग्राफ, हस्ताक्षर व भरे गए अन्य विवरण सही हैं।

xiii. 'पेमेंट' टैब को क्लिक करें और भुगतान के लिए आगे बढ़ें।

xiv. 'सबमिट' बटन को क्लिक करें।

ख. शुल्क का भुगतान

अभ्यर्थियों को केवल **ऑनलाइन** मोड के माध्यम से आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार का भुगतान करना होगा।

i. आवेदन प्रपत्र को गेटवे भुगतान के साथ एकीकृत किया गया है एवं भुगतान की प्रक्रिया को निर्देशों का पालन करके पूरा किया जा सकता है।

ii. भुगतान केवल डेबिट कार्ड (रुपये/वीसा/मास्टरकार्ड/मेस्ट्रो), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड/मोबाइल वॉलेटस का प्रयोग करके किया जा सकता है।

iii. ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में भुगतान से संबंधित अपनी जानकारी प्रस्तुत करने के पश्चात, "कृपया सर्वर से सूचना की प्रतीक्षा करें। दो बार प्रभार से बचने के लिए बैक अथवा रीफ्रेश बटन न दबायें"।

iv. लेन-देन सफलतापूर्वक पूरा होने पर एक ई-रसीद प्रस्तुत की जाएगी।

v. यदि ई-रसीद प्रस्तुत नहीं होती तो इसका अर्थ है "भुगतान" नहीं हो सका है। भुगतान पूरा न होने पर, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अपनी अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का प्रयोग करते हुए फिर से लॉगिन करें और भुगतान की प्रक्रिया को दोहराएँ।

vi. अभ्यर्थियों को शुल्क विवरण के साथ **ई-रसीद** और ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र **का प्रिंटआउट** लेना आवश्यक है। **कृपया नोट करें कि यदि उक्त प्रस्तुत नहीं होता है, तो यह हो सकता है कि ऑनलाइन लेन-देन का कार्य पूरा न हुआ हो।**

vii. क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए: सभी प्रभारों को भारतीय रुपये में सूचीबद्ध किया गया है। यदि आप गैर भारतीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो आपका बैंक प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर आपकी स्थानीय मुद्रा में बदल देगा।

viii. अपने डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कृपया अपना लेन-देन पूरा होने पर ब्राउज़र विंडो बद कर दें।

ix. **शुल्क के भुगतान के पश्चात शुल्क के विवरण वाले आवेदन प्रपत्र का पुन: प्रिंट निकालने का भी प्रावधान है।**

कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित सभी विवरण जिसमें अभ्यर्थी का नाम, वर्ग, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, परीक्षा केंद्र आदि शामिल हैं, को अंतिम माना जाएगा और ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र जमा करने के बाद किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों को अत्यंत सावधानी के साथ ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने की सलाह दी जाती है क्योंकि विवरणों के परिवर्तन के संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। रा.आ.बैंक को आवेदन प्रपत्र में आवश्यक विवरण प्रदान करने के लिए आवेदन में गलत और अपूर्ण विवरण प्रस्तुत करने से होने वाले किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाएगा।

आवेदन के सफल पंजीकरण से जनरेट पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के साथ ईमेल/एसएमएस सूचना को सिस्टम जनरेटेड पावती के रूप ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में विनिर्दिष्ट अभ्यर्थी के ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। **यदि अभ्यर्थियों को उनके द्वारा विनिर्दिष्ट ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर ईमेल और एसएमएस सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो वे समझ सकते हैं कि उनका ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक पंजीकृत नहीं हुआ है।**

ऑनलाइन आवेदन जो किसी भी विषय में अधूरा है जैसे कि उचित पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड की गयी हस्तलिखित घोषणा/शुल्क जमा करने की प्रक्रिया पूर्ण न होना/सूचना प्रभार भुगतान को वैध नहीं माना जाएगा।

अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे समापन तिथि से पहले ऑन-लाइन आवेदन करें और शुल्क/सूचना प्रभार जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें ताकि इंटरनेट/वेबसाइट जाम पर भारी लोड होने पर रा.आ.बैंक की अधिकृत वेबसाइट पर लॉग इन करते समय डिस्कनेक्शन/अक्षमता/विफलता से बचा जा सके।

रा.आ.बैंक अभ्यर्थियों द्वारा उपरोक्त कारण से या रा.आ.बैंक के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य कारण से अंतिम तिथि के भीतर अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत न करने की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता है।

कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त प्रक्रिया आवेदन जमा करने की एकमात्र वैध प्रक्रिया है। आवेदन करने की किसी अन्य प्रणाली या अधूरे चरणों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसे आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

आवेदक द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी अभ्यर्थी के लिए वैयक्तिक रूप से बाध्यकारी होगी और यदि उसके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी/विवरण बाद के चरण में गलत पाए जाते हैं, तो वह अभियोजन/सिविल परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।

ग. दस्तावेजों को स्कैन एवं अपलोड करने हेतु दिशानिर्देश

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी को नीचे दिए गए विनिर्देशों के अनुसार अपनी फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन (डिजिटल) इमेज की आवश्यकता होगी।

फोटोग्राफ प्रतिरूप (4.5 से.मी. X 3.5 से.मी.):

- फोटोग्राफ नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार का होना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि तस्वीर की पृष्ठभूमि, हल्के रंग के समक्ष, अधिमानत: सफेद होनी चाहिए।
- तनाव-मुक्त चेहरे के साथ कैमरे की ओर देखें।
- यदि तस्वीर तेज धूप वाले दिन ली गई हो, तो सूर्य आप के पीछे हो, या आप छाया वाली जगह खड़े हो जाएं जिससे कि फोटो में आप तिरछी दृष्टि से देखते हुए ना नजर आएं और वहां कोई कठोर छायाएं न आ जाएं।
- यदि आप फ्लैश का प्रयोग कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि ''रेड-आई" न हो।
- यदि आप चश्मा पहनते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि फोटो में कोई प्रतिबिंब न हो और आपकी आंखें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हों।
- कैप, टोपी और काले चश्मे स्वीकार्य नहीं हैं। धार्मिक रिवाज के चलते सिर के पहनावे की अनुमति है परंतु इससे आपका चेहरा नहीं ढकना चाहिए।
- आयाम 200 x 230 पिक्सल (अधिमानत:)
- फ़ाइल आकार 20 केबी-50 केबी के बीच होना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई इमेज का आकार 50 केबी से अधिक न हो। यदि फ़ाइल का आकार 50 केबी से अधिक का हो, तो स्कैनिंग की प्रक्रिया के दौरान स्कैनर की सेटिंग जैसे डीपीआई (डॉट्स प्रति इंच) रिज़ोल्यूशन, रंगों की संख्या इत्यादि को समायोजित करें।
- यदि फोटो को साक्षात्कार के समय फोटो लगाने के स्थान पर अपलोड नहीं किया जाता है तो उसे रद्द / अस्वीकार कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी स्वयं उक्त के लिये जिम्मेदार होगा।

- अभ्यर्थी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि फोटो को फोटो के स्थान पर और हस्ताक्षर को हस्ताक्षर के स्थान पर अपलोड किया गया है। यदि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर ठीक से अपलोड नहीं किया गया है, तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपलोड की जाने वाली फोटो आवश्यक आकार की हो और चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

हस्ताक्षर, बायें हाथ का अंगूठे का निशान और हस्त लिखित घोषणा इमेज :

- आवेदक को काली स्याही के कलम से सफेद कागज पर हस्ताक्षर करने हैं।
- आवेदक को काली या नीली स्याही में सफेद कागज पर अपने बायें हाथ का अंगूठे का निशान लगाना है।
- आवेदक को काली स्याही में सफेद कागज पर अंग्रेजी में घोषणा लिखनी है।
- हस्ताक्षर, बाएं हाथ का अंगूठे का निशान और हस्त लिखित घोषणा केवल आवेदक द्वारा हों न कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा।
- हस्ताक्षर केवल कॉल लेटर पर होना चाहिये और जहां भी आवश्यक हो।
- साक्षात्कार के समय हस्ताक्षरित कॉल लेटर, उपस्थिति शीट पर लिए गए आवेदक के हस्ताक्षर, अपलोड किए गए हस्ताक्षर से मेल नहीं खाने की स्थिति में, अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जाएगा।
- आयाम 140 x 60 पिक्सल (अधिमानत:)
- हस्ताक्षर और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान के लिये फ़ाइल का आकार 10 केबी-20 केबी के बीच होना चाहिए।
- हस्त लिखित घोषणा के लिए फ़ाइल का आकार 20केबी – 50केबी के बीच होना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई इमेज का आकार 20 केबी या 50 केबी से अधिक न हो (हस्त लिखित घोषणा के लिये)।
- "बड़े अक्षरों" में हस्ताक्षर/हस्त लिखित घोषणा स्वीकार "नहीं" की जाएगी।

दस्तावेजों की स्कैनिंग:

- स्कैनर का रिज़ोल्यूशन कम से कम 200 डीपीआई सेट करें (डॉट्स प्रति इंच)।
- कलर को ट्रू कलर सेट करें।
- बाएं हाथ के अंगूठे का निशान/हस्त लिखित घोषणा के किनारे पर स्कैनर में इमेज को क्रॉप करें, फिर उसे अंतिम आकार देने के लिए अपलोड एडीटर द्वारा क्राप करें (जैसा कि ऊपर बताया गया है)।
- इमेज फ़ाइल जेपीजी अथवा जेपीईजी फ़ार्मेट में होनी चाहिए। नमूना फ़ाइल नाम है: इमेज01.जेपीजी अथवा इमेज01.जेपीईजी।

- इमेज आयामों की जांच फ़ोल्डर फ़ाइल की लिस्टिंग द्वारा जी सकती है अथवा फ़ाइल इमेज आइकन पर माउस ले जाकर की जा सकती है।
- एमएस विंडोस/एमएस ऑफिस का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थी बड़ी सरलता से एमएस पेंट अथवा एमएस पिक्चर मैनेजर का प्रयोग करके .जेपीईजी फ़ार्मेट में दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। फ़ाइल मेन्यू में 'सेव ऐज़' ऑप्शन का प्रयोग करके किसी भी फ़ार्मेट में स्कैन किए हुए दस्तावेजों को .जेपीजी/जेपीईजी फ़ार्मेट में सेव किया जा सकता है। क्राप और रिसाईज ऑप्शन का प्रयोग करके इसके आकार को समाजोजित किया जा सकता है।
- **यदि फ़ाइल का आकार और फ़ार्मेट वैसे न हो जैसा कि बताया गया हो, तो एक त्रुटि संदेश आएगा।**
- **ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय, अभ्यर्थी को अपने फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बायें हाथ के अंगूठे का निशान और हस्त लिखित घोषणा को अपलोड करने के लिए एक लिंक दिया जाएगा।**

बायें हाथ के अंगूठे का निशान:

- आवेदक को काली या नीली स्याही से सफेद कागज पर अपने बाएं हाथ का अंगूठे का निशान लगाना है।
- बाएं हाथ का अंगूठे का निशान आवेदक का होना चाहिए न कि किसी अन्य व्यक्ति का।
- बाएं हाथ का अंगूठे का निशान-
  - फाइल टाइप: जेपीजी/जेपीईजी
  - आयाम : 200 डीपीआई में 240 x 240 पिक्सल (आवश्यक विशेषता हेतु अधिमानित) यानी 3 सेमी* 3 सेमी (चौड़ाई*लंबाई)
  - फाइल आकार: 20 केबी – 50 केबी

हस्त लिखित घोषणा:

- हस्त लिखित घोषणा सामग्री अपेक्षानुसार होनी चाहिए।
- हस्त लिखित घोषणा "बड़े अक्षरों" में नहीं लिखी जानी चाहिए।
- आवेदक को काली या नीली स्याही के कलम से सफेद कागज पर स्पष्ट रूप से अंग्रेजी में घोषणा को लिखना है।
- हस्त लिखित घोषणा केवल आवेदक द्वारा हों न कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा।
- हस्त लिखित घोषणा
  - फाइल टाइप: जेपीजी/जेपीईजी
  - आयाम: 200 डीपीआई में 800 x 400 पिक्सल (आवश्यक विशेषता हेतु अधिमानित) यानी 10 सेमी* 5 सेमी (चौड़ाई*लंबाई)

➢ फाइल आकार: 50 केबी – 100 केबी

दस्तावेज अपलोड करने हेतु प्रक्रिया

- ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के दौरान अभ्यर्थी को बाएं हाथ का अंगूठे का निशान और हस्त लिखित घोषणा को अपलोड करने के लिए अलग-अलग लिंक प्रदान किए जाएंगे।
- संबंधित लिंक "अपलोड लेफ्ट थम्ब इम्प्रेशन/ हैंड रिटन डिक्लेरेशन" पर क्लिक करें।
- ब्राउज़ करें और उस स्थान को चुनें जहां स्कैन किए गये बाएं हाथ का अंगूठे का निशान / हस्त लिखित घोषणा फाइल को सेव किया गया हो।
- इसे क्लिक करके फ़ाइल को चुनें।
- 'ओपन/अपलोड' बटन पर क्लिक करें। आपका ऑनलाइन आवेदन तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक आप अपने बाएं हाथ का अंगूठे का निशान और हस्त लिखित घोषणा को अपलोड नहीं करते।
- यदि फ़ाइल का आकार और फ़ार्मेट वैसे न हो जैसा कि बताया गया हो, तो एक त्रुटि संदेश आएगा।
- अपलोड की गई इमेज का प्रिव्यू इमेज की गुणवत्ता को देखने में मदद करेगा। अस्पष्ट / मैली होने के मामले में, उक्त को अपेक्षित स्पष्टता / गुणवत्ता के लिए फिर से अपलोड किया जायेगा।

टिप्पणी:

(1) यदि फोटोग्राफ या हस्ताक्षर या बाएं हाथ का अंगूठे का निशान या हस्त लिखित घोषणा अस्पष्ट/मैली है, तो अभ्यर्थी के आवेदन को रद्द कर दिया जायेगा।

(2) ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में बाएं हाथ का अंगूठे का निशान/हस्त लिखित घोषणा को अपलोड करने के बाद, अभ्यर्थियों को यह जांच करनी चाहिए कि इमेज स्पष्ट है और उसे सही तरीके से अपलोड किया गया है। यदि बाएं हाथ के अंगूठे का निशान या हस्त लिखित घोषणा सही से दिखाई नहीं दे रही है, तो अभ्यर्थी अपना आवेदन संशोधित कर सकता है और प्रपत्र जमा करने से पूर्व अपने बाएं हाथ का अंगूठे का निशान/हस्त लिखित घोषणा को पुन: अपलोड कर सकता है।

(3) ऑनलाइन पंजीकरण करने के बाद अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सिस्टम से उत्पन्न ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र का प्रिंटआउट लें।

12. सहायता सेवा

आवेदन पत्र भरने, आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार के भुगतान, या ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने आदि के संबंध में किसी भी समस्या का सामना करने वाले अभ्यर्थी ऐसे प्रत्येक प्रश्न/शिकायत को http://cgrs.ibps.in लिंक पर भेज सकते हैं। अभ्यर्थी जो आवेदन प्रपत्र भरने, आवेदन शुल्क सूचना प्रभार के भुगतान / या ई कॉल लेटर आदि को डाउनलोड करने के संबंध में किसी भी समस्या का-सामना कर रहे हैं, वे ऐसे प्रश्नों शिकायतों के लिये/http://cgrs.ibps.in. लिंक देख सकते हैं। अभ्यर्थी को ईमेल के विषय में **''विभिन्न पदों पर अधिकारियों की भर्ती- 2024-25'** उल्लिखित करना होगा।

II सामान्य निर्देश

[कृपया ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने से पूर्व निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें]

i. आवेदन प्रपत्र भरने से पूर्व, अभ्यर्थियों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे जिस पद के लिये आवेदन कर रहे हैं, उसके लिये आयु, शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, श्रेणी, योग्यता पश्चात/अनिवार्य कार्य अनुभव आदि के संबंध में सभी पात्रता मानदंड यथा **01.10.2024** को पूरा करते हैं और आवेदन प्रपत्र में दिये गये सभी ब्यौरे हर प्रकार से सही हैं। यदि किसी चरण में यह पाया गया कि कोई अभ्यर्थी किसी पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है, और/या उसने कोई गलत जानकारी दी है या उसने किसी तथ्य/तथ्यों को छिपाया है, तो उसकी अभ्यर्थिता समाप्त हो जाएगी। यदि इस विज्ञापन के नियमों और शर्तों के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता को किसी भी कारण से समाप्त कर दिया जाता है, तो इस संबंध में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। ऐसे निर्णय अभ्यर्थी के लिये अंतिम और बाध्यकारी होंगे। यदि ऐसी कोई त्रुटि उसकी नियुक्ति के बाद भी पायी जाती है तब भी उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

ii. अभ्यर्थी की पात्रता, शॉर्टलिस्टिंग, साक्षात्कार का संचालन, अन्य परीक्षण,चयन, पात्रता की जांच जिन चरणों में की जानी है, योग्यता और अन्य पात्रता मानदंड, साक्षात्कार, सत्यापन आदि के संचालन के उद्देश्य हेतु प्रदान किये जाने वाले दस्तावेज और भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित कोई अन्य मामले में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा। इस मामले में बैंक द्वारा किसी पत्राचार या निजी पूछताछ या किसी प्रतिनिधित्व पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

iii. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन जमा करने के बाद उनके सिस्टम से जनरेट ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र का प्रिंटआउट अवश्य लें। अभ्यर्थी भविष्य के संदर्भ के लिए पंजीकरण संख्या और पासवर्ड अपने पास रखें।

iv. एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन किसी भी अभ्यर्थी द्वारा जमा नहीं किए जायेंगे। एक से अधिक आवदनों के मामले में केवल नवीनतम वैध (पूर्ण) आवेदन को बरकरार रखा जाएगा और अन्य एक से अधिक पंजीकरण (पंजीकरणों) के लिए भुगतान किए गए आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार जब्त कर लिये जाएंगे।

v. ऑनलाइन परीक्षा और/साक्षात्कार में एकाधिक उपस्थिति को खारिज किया जायेगा/अभ्यर्थिता को रद्द कर दिया जाएगा।

vi. एक बार ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत होने पर उसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और/या एक बार भुगतान किए गए आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार वापस नहीं किए जाएंगे और न ही किसी अन्य परीक्षा के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

vii. इस विज्ञापन और/अथवा इसके जवाब में आये आवेदन के कारण किसी भी दावे या विवाद की दशा में कोई कानूनी कार्यवाही केवल दिल्ली में एवं दिल्ली स्थित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/मंचों पर ही की जा सकती है, किसी भी मुकदमे/विवाद की सुनवाई का एकल और अनन्य अधिकार क्षेत्र दिल्ली ही होगा।

viii. अभ्यर्थियों की ओर से या उनके द्वारा कोई भी प्रचार करने या उनके चयन/भर्ती के संबंध में राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव लाने पर उन्हें अयोग्य माना जाएगा।

ix. ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार के लिए तिथि, समय और स्थान बदलने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित विवरण, पता बदलने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

x. यदि अंग्रेजी के अतिरिक्त इस विज्ञापन में किसी अन्य भाषा की व्याख्या में कोई विवाद होता है तो रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।

xi. अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी स्थानों पर यानी उसके ऑनलाइन आवेदन, ई-कॉल पत्र, उपस्थिति पत्रक आदि एवं भविष्य में बैंक के साथ होने वाले सभी पत्राचारों में उसके द्वारा किये गये हस्ताक्षर एक जैसे हों और उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं न हो। "बड़े अक्षरों" में हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

xii. हाल ही में, पहचान योग्य फोटोग्राफ (4.5 सेमी × 3.5 सेमी) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड की जानी चाहिए और अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उक्त की प्रतियां प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उपयोग के लिए संभाल कर रखी गई हैं। अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक अपना रूप न बदलें। प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में समान फोटोग्राफ़ प्रदान न करने या किसी भी स्तर पर पहचान संदिग्ध पाने पर उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा।

xiii. बाएं/दाएं हाथ के अंगूठे का निशान जो स्कैन और अपलोड किया गया है, मैला नहीं होना चाहिये।

xiv. हस्त लिखित घोषणा अभ्यर्थी के हाथ से लिखे और अंग्रेजी में ही होनी चाहिए और "बड़े अक्षरों में नहीं" होना चाहिये। यदि यह किसी और के द्वारा लिखा और अपलोड किया जाता है या किसी अन्य भाषा में है, तो आवेदन को अवैध माना जाएगा।

xv. परीक्षा के आयोजन में किसी भी समस्या के होने की संभावना को पूर्ण रूप से खत्म नहीं किया जायेगा, जिसका प्रभाव टेस्ट वितरण और/या परिणाम उत्पन्न होने से होता है। इस स्थिति में, इस तरह की समस्या को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किये जायंगे, जिसमें अभ्यर्थी की आवाजाही, टेस्ट में देरी शामिल है। पुन: परीक्षा का आयोजन रा.आ.बैंक के पूर्ण विवेक पर है। पुन: परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के पास कोई दावा नहीं होगा। वे अभ्यर्थी जो टेस्ट वितरण की विलंबित प्रक्रिया में आना या भाग लेना नहीं चाहते, उन्हें इस प्रक्रिया से पूर्ण रूप से हटा दिया जाएगा।

xvi. साक्षात्कार में भाग लेने वाले योग्य बाहरी अभ्यर्थियों को सेकेंड क्लास एसी (केवल मेल/एक्सप्रेस) या बस की आने एवं जाने की यात्रा लागत उनके द्वारा साक्ष्य प्रदान करने पर सबसे छोटे मार्ग या किये गये वास्तविक व्यय (जो भी कम हो) के लिए प्रतिपूर्ति की जाएगी। स्थानीय यात्रा किराये हेतु किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी, यदि पद के लिए अयोग्य पाया जाता है, तो उसे साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसे किसी भी यात्रा किराया की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

xvii. साक्षात्कार के समय, अभ्यर्थी उसके विरुद्ध आपराधिक मामला (मामले), लंबित सतर्कता मामला (मामले), यदि कोई हो, के संबंध में विवरण प्रदान करेगा। यदि अपेक्षित हो, तो बैंक स्वतंत्र सत्यापन के

साथ-साथ पुलिस रिकॉर्ड आदि का सत्यापन भी करेगा। बैंक ऐसे प्रकटन और/अथवा स्वतंत्र सत्यापन के आधार पर चयन/नियुक्ति नकारने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

xviii. रा.आ.बैंक अनधिकृत व्यक्ति/संस्थान द्वारा प्रदान किये गये किसी भी आवेदन/गलत जानकारी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी के साथ/के साथ अपने आवेदन के विवरण को साझा/वर्णित न करें।

xix. अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के अधीन है। हालांकि, बैंक की सेवा में पुष्टि पुलिस प्राधिकारियों द्वारा उनके चरित्र एवं पूर्ववृत्त की संतोषजनक रिपोर्ट प्रदान करने, उनके पूर्व नियोक्ता और संदर्भितों से उसकी संतोषजनक रिपोर्ट मिलने, जाति/जनजाति/वर्ग/ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगजन प्रमाणपत्र का सत्यापन होने (केवल आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये) और बैंक की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार भर्ती पूर्व की सभी औपचारिकताओं के अधीन होंगी, ऐसा न होने पर उनकी नियुक्तियों/सेवाओं को बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ये नियुक्तियां बैंक के सेवा एवं आचरण विनियमों के अधीन भी होंगी।

xx. नियुक्ति के समय, चयनित अभ्यर्थियों को जो सरकारी/अर्ध सरकारी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) (राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों) में सेवारत हों, अपने वर्तमान नियोक्ता से मूल में उचित सेवा-मुक्ति पत्र/कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

xxi. रा.आ.बैंक किसी भी पात्रता मानदंड, चयन की विधि और अनंतिम आबंटन आदि को बदलने (रद्द/संशोधित/जोड़ने) का अधिकार सुरक्षित रखता है।

xxii. पद के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ही ईमेल और/या एसएमएस द्वारा सूचनाएँ भेजी जाएंगी।

xxiii. मोबाइल नंबर, ईमेल पते में बदलाव, तकनीकी खराबी के मामले में या अन्यथा रा.आ.बैंक के नियंत्रण से से बाहर यदि सूचना/जानकारी अभ्यर्थी तक नहीं पहुंच पाती है तो इसमें बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि नवीनतम अद्यतन स्थिति जानने हेतु रा.आ.बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.nhb.org.in को अच्छी तरह से देखें।

xxiv. यदि चयन प्रक्रिया या नियुक्ति के बाद के चरण में, अभ्यर्थी की हस्त लिखित घोषणा पर लिखावट असमान/अलग पाई जाती है, तो हस्तलेख विशेषज्ञ के विश्लेषण के अनुसार, उसकी अभ्यर्थिता/नियुक्ति रद्द/समाप्त कर दी जाएगी।

xxv. अभ्यर्थियों को इस विज्ञापन में दिए गए परीक्षा के समय सोशल डिस्टेंसिंग मोड के बारे में सभी दिशानिर्देशों का पालन करना अपेक्षित है। किसी भी उल्लंघन के मामले में अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

xxvi. **निम्नलिखित मदों की अनुमति परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं है:-**

क. **कोई भी स्टेशनरी वस्तु जैसे पाठ्य सामग्री (मुद्रित या लिखित), कागजात, जिमेट्री/ पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन/स्कैनर**

आदि।

ख. **कोई भी संचार उपकरण जैसे मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, इयरफ़ोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड आदि (अभ्यर्थी के पास अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल होना चाहिए। आरोग्य सेतु स्थिति में अभ्यर्थी का जोखिम की स्थिति दिखनी चाहिए। अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल पर प्रवेश करते समय सुरक्षा गार्ड को इस स्थिति को दिखाना होगा। प्रवेश द्वार पर आरोग्य सेतु की स्थिति प्रदर्शित होने के बाद, अभ्यर्थियों को अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करना होगा, और निर्धारित स्थान पर जमा करना होगा। और बाहर निकलते समय लेना होगा)।**

ग. **अन्य वस्तु जैसे गॉगल्स, हैंडबैग, हेयर-पिन, हेयर-बैंड, बेल्ट, कैप, आदि।**

घ. **रिंग, ईयररिंग्स, नोज-पिन, चेन/नेकलेस, पेंडेंट, बैज, ब्रोच आदि जैसे सभी आभूषणों को अच्छी तरह से जांचना चाहिए।**

ङ. **कोई भी घड़ी/रिस्ट वॉच, कैमरा आदि।**

च. **कोई धातु की वस्तु**

छ. **खुली या पैक हुई कोई खाने की वस्तु, पानी की बोतल आदि।**

ज. **कोई अन्य वस्तु जिसका उपयोग संचार साधनों जैसे कैमरा, ब्लू टूथ डिवाइस आदि को छिपाने के लिए अनुचित तरीके से किया जा सकता है।**

इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर अभ्यर्थिता रद्द की जायेगी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी जिसमें भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिबंध और पुलिस शिकायतें भी शामिल है।

अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे किसी भी प्रतिबंधित वस्तु को परीक्षा स्थल में न लाएं, क्योंकि उनके सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। आईबीपीएस या ऑनलाइन परीक्षा के संचालन से जुड़ी कोई भी एजेंसी किसी भी वस्तु के नुकसान की जिम्मेदारी नहीं लेगी। उक्त को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी लागत या बिना किसी लागत के अभ्यर्थी की होगी।

xxvii. **कदाचार/अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध कार्रवाई**

अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने हित में ऐसे किसी प्रकार के विवरण प्रस्तुत न करें जो झूठे हों, जिनके साथ छेड़छाड़ की गई हो अथवा मनगढ़ंत हों एवं ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय कोई महत्वपूर्ण जानकारी न छुपायें।

साक्षात्कार के समय अथवा बाद की चयन प्रक्रिया में यदि अभ्यर्थी निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है (अथवा पाया गया) तो

(i) अनुचित साधनों का प्रयोग अथवा

(ii) छद्म भेष अथवा किसी व्यक्ति द्वारा छद्म भेष का संपादन अथवा

(iii) भर्ती से जुड़े किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करने या ब्लैकमेल करके धमकी देने या उस पर दबाव डालने या घूस के प्रस्ताव के ज़रिये उसकी अभ्यर्थिता हेतु समर्थन प्राप्त करने अथवा।

(iv) परीक्षा/साक्षात्कार हॉल में दुर्व्यवहार या टेस्ट की सामग्रियों का प्रकटीकरण, प्रकाशन, पुन:प्रस्तुतीकरण, संचारण, संग्रहण या संचारण और भंडारण या किसी भी रूप में पूर्णत: या भाग के रूप में कोई भी जानकारी या किसी भी माध्यम से, किसी भी उद्देश्य हेतु मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल रूप में सुविधा प्रदान करना अथवा

(v) अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में नियम विरूद्ध अथवा अनुचित तरीक़ों का सहारा लेने अथवा

(vi) अनुचित तरीके से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त करने अथवा

(vii) साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन अथवा इस तरह के संचार उपकरण ले जाने वाले अभ्यर्थी खुद को आपराधिक मुक़दमे के अतिरिक्त निम्नलिखित हेतु उत्तरदायी होंगे:

क) साक्षात्कार/चयन प्रक्रिया से अयोग्यता का पात्र बनेंगे जिसके वे अभ्यर्थी हैं

ख) आईबीपीएस द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में या तो हमेशा के लिए या निर्धारित अवधि के लिए निषिद्ध कर दिए जाएंगे।

ग) यदि वे बैंक की सेवा में पहले से शामिल हैं, तो उस सेवा से उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण: रा.आ.बैंक सही और गलत उत्तरों की समानता के पैटर्न का पता लगाने के लिए अन्य अभ्यर्थियों के साथ वैयक्तिक अभ्यर्थियों की प्रतिक्रियाओं (उत्तरों) का विश्लेषण करेगा। यदि इस संबंध में रा.आ.बैंक द्वारा अपनाई गई विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में, यह अनुमान/निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रतिक्रियाएं साझा की गई हैं और प्राप्त अंक वास्तविक/वैध नहीं हैं, रा.आ.बैंक के पास संबंधित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को बिना किसी नोटिस के रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है और ऐसे अभ्यर्थियों के परिणाम (अयोग्य) पर रोक लगा दी जायेगी। इस संबंध में कोई पत्राचार शामिल नहीं किया जाएगा।

xxviii. **ई- कॉल लेटर**

ऑनालाइन परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के लिए केन्द्र का पता, तिथि और समय संबंधित ई-कॉल लेटर में सूचित किया जाएगा।

योग्य अभ्यर्थी अपने विवरण यानी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड/जन्म तिथि दर्ज करके रा.आ.बैंक की अधिकृत वेबसाइट www.nhb.org.in से अपना ई-कॉल लेटर डाउनलोड करें। ई-कॉल लेटर/इंफार्मेशन हैंडआउट आदि की कोई हार्ड कॉपी डाक/कुरियर द्वारा नहीं भेजी जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा के लिए स्क्राइब के लिए एक अतिरिक्त कॉल लेटर होगा।

पद हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ईमेल और/एसएमएस द्वारा भी सूचना भेजी जाएगी। आईबीपीएस/रा.आ.बैंक मोबाइल नंबर, ईमेल पते में परिवर्तन, तकनीकी खराबी या अन्यथा आईबीपीएस/रा.आ.बैंक के नियंत्रण से बाहर अभ्यर्थी को ई-मेल/एसएमएस द्वारा भेजे गए किसी भी संचार की देर से प्राप्ति/गैर-प्राप्ति की जिम्मेदारी नहीं लेगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से विवरण, अपडेट एवं किसी भी जानकारी जो कि आगे की मार्गदर्शन हेतु अद्यतित की जाएगी के लिए रा.आ.बैंक की अधिकृत वेबसाइट www.nhb.org.in देखते रहें, साथ ही भर्ती प्रक्रिया के दौरान समय-समय पर अपने पंजीकृत ई-मेल अकाउंट को देखते रहें।

xxix. **घोषणाएं**

भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सभी घोषणाओं/शुद्धिपत्र/विवरणों को **केवल** समय-समय पर रा.आ.बैंक की अधिकृत वेबसाइट www.nhb.org.in पर प्रकाशित/उपलब्ध कराया जायेगा।

xxx. **अस्वीकरण**

चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण में गलत सूचना देने और/या प्रक्रिया का उल्लंघन करने का दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और वह रा.आ. बैंक द्वारा भविष्य में होने वाली किसी अन्य भर्ती प्रक्रिया में भी शामिल नहीं हो सकेगा। यदि ऐसी किसी घटना की जानकारी वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान नहीं हो सकी किंतु बाद में ज्ञात हुई जो वह अयोग्यता पिछली तारीख से प्रभावी होगी। रा.आ.बैंक में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा दिए जाने वाले स्पष्टीकरण/निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(इस विज्ञापन का हिंदी संस्करण बैंक की हिंदी वेबसाइट पर उपलब्ध है)

नई दिल्ली | महाप्रबंधक

07.10.2024 | मानव संसाधन एवं प्रबंधन विभाग

किसी भी विवाद की स्थिति में विज्ञापन का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।